vkdk'kok.kh ikV Cy;j

दिनांक : 19.12.2024 समय : 0705

<><><><><><><><><><>

1. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से आज से चौबीस दिसम्बर तक सुशासन सप्ताह अभियान ''प्रशासन गांव की ओर'' आयोजित किया जाएगा।

2. दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने द्वीप समूह में लघु खनिजों के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की है।

3. यातायात पुलिस ने गैराज मालिकों को सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाने और सड़क किनारे भीड़–भाड़ कम करने के निर्देश दिए है।

4. तेइसवां राज्य स्कूल खेल और आठवीं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कल नेताजी स्टेडियम में शुरू हुई।

<><><><><><><><><><>

भारत सरकार की एक पहल के एक भाग के रूप में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से आज से चौबीस दिसम्बर तक सुशासन सप्ताह अभियान ''प्रशासन गांव की ओर'' आयोजित किया जाएगा। इस सिलसिले में दक्षिण अंडमान ज़िला उपायुक्त अर्जुन शर्मा की अध्यक्षता में कल छोलदारी और चौबीस दिसम्बर को हैडो के सामुदायिक हॉल में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। दक्षिण अंडमान सहायक आयुक्त विनायक चमाड़िया की अध्यक्षता में कल विम्बर्लीगंज और चौबीस दिसम्बर को मीठाखाड़ी के सामुदायिक हॉल में शिकायत निवारण शिविर लगेगी। दक्षिण अंडमान ज़िला कार्यालय के अधिकारी वसंत दाभोलकर की अध्यक्षता में कल शोलबे के सामुदायिक हॉल में और चौबीस दिसम्बर को वन्डूर के सामुदायिक हॉल में शिकायत निवारण शिविर आयोजित की जाएगी, जबकि दक्षिण अंडमान ज़िला कार्यालय अधिकारी अनुजा त्रिवेदी की अध्यक्षता में कल कालीकट सामुदायिक हॉल और तेईस तथा चौबीस दिसम्बर को लिटिल अंडमान के पंचायत हॉल में शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर सुबह नौ बजे से आरंभ होगी। इस संबंध में दक्षिण अंडमान ज़िला उपायुक्त और सहायक आयुक्त ने संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों और प्रभारियों से अपने प्रतिनिधियों को शिविर में भाग लेने का निर्देश दिया है।

<><><><><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने द्वीप समूह में लघु खनिज नियम, दो हजार बारह और भूमि राजस्व और भूमि सुधार विनियमन, उन्नीस सौ छियासठ के तहत लघु खनिजों के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की है। इस संबंध में एक मामला दर्ज कर दोषी को नोटिस जारी किया गया। दोषी के अधिकारियों के समक्ष पेश न होने के कारण उस पर लघु खनिजों के अवैध खनन और परिवहन के लिए एक करोड़ चौबीस लाख अट्ठासी हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। आदेश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर दक्षिण अंडमान जिला कार्यालय में जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है। उल्लंघनकर्ता को भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियों से दूर रहने की कड़ी चेतावनी दी गई है। आम जनता किसी भी अनधिकृत अतिक्रमण, अवैध खनन या निर्माण गतिविधियों की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को फोन पर या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे सकते हैं।

<><><><><><><><><><>

इंडोनेशिया के सबंग में हाल ही में तैंतालीसवीं भारत–इंडोनेशिया समन्वित गश्ती आयोजित की गई। उद्घाटन समारोह में भारतीय नौसेना के जहाज आई एन एस केसरी और एल सी यू 57 ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के जहाज दस से बारह तक सबंग, जबकि इंडोनेशियाई इकाइयों ने सोलह से अट्ठारह दिसम्बर तक श्री विजयपुरम का दौरा किया। इस दौरान आधिकारिक मुलाकात का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा, स्टेशन कीपिंग बाय डिस्टेंस लाइन, हवाई ट्रैकिंग और पासेक्स की संयुक्त

गश्त शामिल थी। इस दौरान भारत–इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों की पचहत्तरवीं वर्षगांठ के सिलसिले में इंडोनेशियाई राजदूत इना हग्नि–निंग–त्यास कृष्णमूर्ति ने श्री विजयपुरम का दौरा किया। इस दौरान आईडीएन कर्मियों को भारत के समृद्ध इतिहास, विशेष रूप से द्वीपसमूह को जानने का एक अवसर प्रदान किया गया।

<><><><><><><><>

यातायात पुलिस ने गैराज मालिकों को सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाने और सड़क किनारे भीड़–भाड़ कम करने के निर्देश दिए है। उप पुलिस अधीक्षक यातायात अजय कुमार राय की अध्यक्षता में कल सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसे बेहतर बनाने के लिए गैराज मालिकों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण लोगों को होने वाली परेशानी पर चर्चा की गई। बैठक में सभी गैराज मालिकों को उप–पुलिस अधीक्षक ने एक महीने के भीतर सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाने का निर्देश दिया। जो वाहन लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उन्हें कबाड़ में डालने को कहा। इसके अलावा उन्होंने सभी वाहनों की मरम्मत, रखरखाव और मरम्मत का काम सार्वजनिक सड़कों के बजाय गैराज की सीमा के भीतर करने का निर्देश दिया। गैराज मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वाहन की पहचान बदलने वाली किसी भी बड़ी मरम्मत को शुरू करने से पहले वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र का सत्यापन किया जाए। वाहनों में अनाधिकृत संशोधनों पर प्रतिबंध है। गैराज मालिकों को मरम्मत या संशोधन के लिए लाए गए किसी भी संदिग्ध चोरी के वाहन की तुरंत रिपोर्ट करना आवश्यक है। यातायात पुलिस ने कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><><><>

राजकीय बहुशिल्प संस्थान डिगलीपुर में डिप्लोमा कार्यक्रमों में विभिन्न पदों पर अतिथि प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए सीधा साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार कल सीतानगर स्कूल के जी पी डी परिसर में सुबह दस बजे से लिया जाएगा। उम्मीदवारों का चयन डेमो कक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होगा। डेमो के लिए विषय डीब्रेट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। चयनित उम्मीदवारों को प्रति थ्यौरी एक हजार रूपये और प्रति प्रायोगिक कक्षा के लिए पांच सौ रूपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा पच्चीस हजार रूपये होगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार बहुशिल्प संस्थान डिगलीपुर या श्री विजयपुरम स्थित डीब्रेट से संपर्क कर सकते हैं।

<><><><><><><><>

नेताजी स्टेडियम में कल तेइसवां राज्य स्कूल खेल और आठवीं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता सोलह वर्ष आयु वर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए शुरू हुई।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार मुख्य अतिथि थे। उन्होंने झंडा फहराकर खेलों का उद्घाटन किया। उन्होंने शिक्षा सचिव स्मिता आर. और शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह की उपस्थिति में 'ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी' का अनावरण किया और खेलों का तकनीकी बुलेटिन जारी किया। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम के आयोजन में शिक्षा विभाग और खेल और युवा मामले निदेशालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह का खेलों से गहरा जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में कई खेल विधाएं जोड़ी गई हैं और हमारे खिलाड़ियों ने मुख्य भूमि पर आयोजित साइकिलिंग और कैनोइंग स्पर्धाओं में पदक जीते हैं। मुख्य सचिव ने सभी नौ शैक्षणिक क्षेत्रों के प्रतिभागियों से खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। इससे पहले, अपने संबोधन में शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि खेल युवाओं के लिए अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का एक शानदार अवसर है। उन्होंने कहा कि खेलों में सभी नौ शैक्षणिक क्षेत्रों और सी ड ब्ल्यू एस एन छात्रों के नौ सौ नब्बे छात्र भाग ले रहे हैं।

><><><><><><><>

डिगलीपुर के नबाग्राम में स्टील बेली ब्रिज में मरम्मत का कार्य किया जाएगा। डिगलीपुर उप–विभागीय मजिस्ट्रेट कमलेश्वर राव एस ने इस संबंध में वाहनों की आवाजाही को बंद करने आदेश जारी करते हुए कहा कि इस दौरान, आपातकालीन वाहनों को छोड़कर, किसी भी वाहन को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने अंडमान लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को मरम्मत कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।

<><><><><><><>